

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक:- F - 61(1) ग्रावि./नरेगा/सा.अ./वि.जां./बांसवाड़ा/09-10

दिनांक:

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा),
बांसवाड़ा।

विषय:- ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा, पंचायत समिति आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा के लेखों एवं कार्यों के माह दिसम्बर, 2009 में किए गए विशेष जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई कराने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अ./2009-10 दिनांक 18.12.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा, पंचायत समिति आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा योजना अन्तर्गत किए गए एवं करवाये जा रहे कार्यों एवं लेखों तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु विशेष जांच दल श्री मुकेश विजय, अधिशाषी अभियंता, ई.जी.एम., जयपुर के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस जांच दल ने दिनांक 23.12.2009 से 28.12.2009 तक ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त जांच प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं पर आपके स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है:-

1. राशि वसूली की कार्रवाई:-

अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि रू.	प्रस्तावित कार्रवाई
<p>रोकड़ बही में गबन किया जाना (राशि: रू. 30,37,893 का गबन)</p> <p>1. दिनांक 23.06.09 को रोकड़ बही के पेज न. 51 पर 300 रुपये का योग अधिक लगाकर अन्तिम शेष घटाते हुए 300/- का गबन किया गया है।</p> <p>2. दिनांक 28.07.09 को रोकड़ बही के पेज न. 60 के अनुसार उपलब्ध राशि रुपये 8,95,073/- में से रुपये 51,000/- का व्यय किया जाने पर जास्तधिक शेष राशि रुपये 8,44,073/- होना चाहिए जबकि अन्तिम शेष रुपये 8,08,073/- दर्शाकर रुपये 36,000/- का गबन किया गया है।</p>	30,37,893/-	<p>1. प्रतिवेदन के अनुसार श्री हुरजी भाई, सरपंच ग्राम पंचायत, उदयपुरा बड़ा व श्री देवीलाल पारगी, ग्राम सेवक एवं सचिव ग्राम पंचायत, उदयपुरा बड़ा ने रोकड़ बही में राशि रुपये 30,37,893/- का गबन किया है। इस गबन राशि में से रुपये 30,01,000/- जमा करा दी गई, शेष राशि रुपये 36,893/- की वसूली की जानी है। जमा कराई गई राशि का सत्यापन करावें एवं शेष राशि की वसूली की जावे।</p> <p>2. राशि का गबन करने के लिए श्री हुरजी भाई, सरपंच एवं श्री देवीलाल पारगी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के</p>

3. दिनांक 11.08.09 को सरपंच को दो बियरर चैकों के माध्यम से राशि रूपये 16.40 लाख (प्रत्येक चैक 8.20 लाख) का बिना किसी प्रयोजन के नकद भुगतान किया गया है। बैंक में उपलब्ध बियरर चैकों पर सरपंच व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर हैं। इसी तारीख दिनांक 11.08.09 को ही राशि रूपये 5,58,000/- का सरपंच को नकद भुगतान दर्शाया गया है। इस प्रकार दिनांक 11.08.09 को कुल राशि 21,98,000/- सरपंच को नकद भुगतान किया गया है, यह राशि का गबन है। 4. दिनांक 15.4.09 में चरपोटा कृषि फार्म रतनपुरा को 15000/- रूपये के स्थान पर 16000/- रूपये का भुगतान करते हुए 1000/- रूपये का गबन किया गया है। 5. सरपंच, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा बैंक से आहरण कर गबन करना (आहरण करने के पेटे वाउचर उपलब्ध नहीं)

8.09.2009	285000/-
16.10.2009	620000/-
26.10.2009	500000/-
	<u>14,05,000/-</u>

4.09.2009 को प्राप्त
बी.आर.जी.एफ. (-) 6,02,407/-
की राशि
गबन राशि 8,02,593/-

विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे तथा जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् इस एफ.आई.आर. के निर्णायक स्तर पर पहुंचने तक फॉलोअप करें।
3. ग्राम सेवक के विरुद्ध संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए सक्षम प्राधिकारी के स्तर से आरोप पत्र जारी किया जावे तथा सरपंच श्री हुरजी भाई, को पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्यवाही की जावे।

ग्राम पंचायत द्वारा 4 निर्माण कार्यों के लिए कनिष्ठ अभियंता द्वारा माप पुस्तिका में दर्ज माप एवं कार्यस्थल पर माप में अन्तर के कारण अधिक भुगतान किया गया है। कार्यवार अधिक राशि के भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:-

1. चेकडेम दरजी/कालु से लालजी/ कालु तक
राशि रूपये 41,739/-
2. ग्रेवल सड़क निर्माण मुख्य सड़क से शमशान घाट तक जालिमपुरा
राशि रूपये 42,074/-
3. ग्रेवल सड़क मय पुलिया प्राथमिक विद्यालय उपला पाड़ा से गणेश मंदिर झण्डावाला तक
राशि रूपये 51,840/-

1,62,740/-

1. प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता एवं अधिक भुगतान के लिए हुरजी भाई, सरपंच, ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा, देवीलाल पारगी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत, उदयपुरा बड़ा उत्तरदायी हैं।
कार्यस्थल पर माप से अधिक माप एम.बी. में दर्ज करने के लिए श्री जगदीश चन्द दूबे (1.4.08 से 31.3.09 तक) एवं महेन्द्र बोरा (1.4.09 से लगातार) कनिष्ठ अभियंता उत्तरदायी हैं।
2. राशि रूपये 1,62,740/- की वसूली सरपंच, ग्राम सेवक एवं संबंधित कनिष्ठ अभियंता से बराबर अनुपात में की जावे।
3. कनिष्ठ अभियंता एवं ग्राम सेवक के विरुद्ध इनके संबंधित सेवा नियमों के

<p>4. चैकडेम डीएलटी लालजी/मकन के खेत से बेडावली खोती तक राशि रूपये 27,037/-</p>		<p>अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए सक्षम प्राधिकारी के स्तर से आरोप पत्र जारी किए जावे तथा सरपंच श्री हुरजी भाई, को पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।</p>
<p>ग्राम पंचायत द्वारा 2 निर्माण कार्यों के कार्यस्थल पर माप में अन्तर है एवं इनका उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना शेष है। कार्यस्थल पर माप में अन्तर के कारण किए गए अधिक भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:- 1. निजी कूप निर्माण मय पूनर्भरण स्ट्रक्चर वालजी/पुंजा पीथापुरा राशि रूपये 67,700/- 2. निजी कूप निर्माण मय पूनर्भरण स्ट्रक्चर मनजी/रामजी राशि रूपये 33,900/-</p>	<p>1,01,600/-</p>	<p>1. प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता एवं अधिक भुगतान के लिए हुरजी भाई, सरपंच, ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा, देवीलाल पारगी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत, उदयपुरा बड़ा उत्तरदायी हैं। 2. राशि रूपये 1,01,600/- की वसूली हुरजी भाई, सरपंच, देवीलाल पारगी, ग्राम सेवक, से बराबर अनुपात में की जावे। 3. ग्राम सेवक के विरुद्ध इनके संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए सक्षम प्राधिकारी के स्तर से आरोप पत्र जारी किए जावे तथा सरपंच श्री हुरजी भाई, को पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई की जावे।</p>
<p>निर्माण कार्य- भूमि समतलीकरण एवं बागवानी वृक्षारोपण कार्य में मौके पर वृक्षारोपण कार्य ही नहीं करवाया गया फर्जी बिल लगाये गये। 1720 पौधे@50 = 86,000/-</p>	<p>86,000/-</p>	<p>1. प्रतिवेदन के अनुसार इस अनियमितता एवं अधिक भुगतान के लिए हुरजी भाई, सरपंच, ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा, देवीलाल पारगी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत, उदयपुरा बड़ा उत्तरदायी हैं। अतः राशि रूपये 86,000/- की वसूली हुरजी भाई, सरपंच, देवीलाल पारगी, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव से बराबर अनुपात में की जावे। 2. ग्राम सेवक के विरुद्ध इनके संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत वृहद् शास्ति (Major penalty) के लिए सक्षम प्राधिकारी के स्तर से आरोप पत्र जारी किए जावे तथा सरपंच श्री हुरजी भाई, को पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित कराये जाने की कार्रवाई</p>

सीमेंट आपूर्तिकर्ता श्री भैरवनाथ, मार्बल के बिल पर अंकित दिनांक से पूर्व की दिनांक में रोकड़ बही में सीमेंट कट्टे 407 राशि रुपये 90,022/- का इन्द्राज किया गया है। मौके पर सीमेंट का कोई उपयोग किया जाना नहीं पाया गया है। इन बिलों पर कोई स्टॉक एन्ट्री भी नहीं पाई गई।	90,022/-	की जावे। राशि रुपये 90,022/- की वसूली हुरजी भाई, सरपंच एवं देवीलाल पारगी, ग्राम सेवक से बराबर अनुपात में की जावे।
--	----------	--

नोट:- गबन एवं अन्य अनियमित भुगतान राशि रुपये 4,77,255/- की वसूली की जानी है।

- ग्राम पंचायत द्वारा गिट्टी, रेती, ग्रेवल, पत्थर का क्रय कच्चे बिलों पर किया गया है। नियमानुसार निर्माण सामग्री की खरीद रजिस्टर्ड फर्म/विक्रेता (आरएसटी/सीएसटी/टिन होल्डर) से की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा 1.4.2008 से 30.11.2009 तक क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों का विवरण वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाकर वेट की वसूली की कार्रवाई करावें।
- प्रतिवेदन के अनुसार कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्रों में कार्य आरम्भ एवं कार्य समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है तथा इन्हें जारी करने एवं समायोजन करने वाले कार्मिक का नाम अंकित नहीं है। समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों/पूर्णता प्रमाण पत्रों में उक्त कमियों की पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रतिवेदन के अनुसार सरपंच एवं सचिव के पास रोकड़ बही में अधिक मात्रा में नकद राशि रखी गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियम 211(3) के अनुसार 500 रुपये से अधिक राशि बैंक में जमा होना आवश्यक है। 500 रुपये से अधिक नकद अतिशेष माह के अन्त में रखने के लिए सरपंच एवं ग्राम सेवक व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति में वह ऐसी अधिशेष राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। इस संबंध में विस्तृत जांच कराकर अधिशेष रखी गई राशि पर ब्याज की वसूली करावें।
- ग्राम पंचायत के नरेगा बैंक खाते में राशि रुपये 6,02,407/- बी.आर.जी.एफ. की मद से गलती से जमा होना बताया गया एवं नरेगा बैंक खाते से उक्त राशि आहरित कर बी.आर.जी.एफ. के कार्यों में उपयोग में लिया जाना बताया गया है। इसका सत्यापन करवाने की कार्रवाई करें।
- ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, श्री देवीलाल पारगी के पास ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा के अतिरिक्त दो अन्य ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिव का कार्यभार भी था। अतः इन दोनों ग्राम पंचायतों की रोकड़ बही का निरीक्षण तथा बैंक खाते के साथ इसका अंक मिलान कराने की कार्रवाई करें।
- ग्राम पंचायत में स्वीकृत समस्त नवीन कुओं पर पत्थर एवं रेती की आपूर्ति के बिल वाउचर भी लगाये गये हैं, जबकि अधिकतर कार्यों पर पत्थर एवं रेती की आपूर्ति नहीं की गई है। अतः समस्त कूप निर्माण के कार्यों का मूल्यांकन करावें।
- प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति के विरुद्ध अपने कार्य के प्रति उदासीनता, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करने, राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने तथा राशि का आवंटन नियमानुरूप नहीं करने के कारण सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा

द्वारा बड़ी राशि गवन करने की अनियमितता स्पष्ट होती है। अतः इनके विरुद्ध अभिलेखीय साक्ष्य के साथ बृहद् शास्ति (Major penalty) हेतु आरोप पत्र का प्रारूप तैयार कर भिजवाने की कार्रवाई करें।

9. तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने के लिए सक्षम सीमा निर्धारण हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 8(1)ग्रावि/जीकेएन/06 दिनांक 15.03.2007 एवं आदेश क्रमांक एफ 8(1)ग्रावि/ग्रुप-8/जीकेएन/06 दिनांक 11.07.2008 जारी किये हुए हैं। भविष्य में तकनीकी स्वीकृतियां पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में जारी करने हेतु अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता, नरेगा को निर्देशित किया जावे।
10. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ.4(16)ग्रा.वि./ग्रा.रो./नरेगा/ 06 दिनांक 27.3.2008, के बिन्दु संख्या 7.3.1, आदेश क्रमांक: एफ.4(16)ग्रा.वि./नरेगा/06 दिनांक 14.11.2008, आदेश क्रमांक: एफ.4(5)आर.डी./नरेगा/2009-10 दिनांक 30.9.2009, के द्वारा नरेगा कार्य स्थलों पर पूर्ण विवरण सहित सूचना पट्ट लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं। निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्यों पर कार्य संबंधी विवरण का सूचना पट्ट नहीं पाया गया। अतः प्रत्येक कार्यस्थल पर सूचना पट्ट लगवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. प्रतिवेदन के अनुसार कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों, माप पुस्तिकाओं एवं मस्टररोलों में टास्क अंकित करने की दिनांक अंकित कराना तथा सरपंच, ग्राम सेवक एवं विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी के लिए भी हस्ताक्षरों के साथ तारीख अंकित कराना अनिवार्य करने की आवश्यकता है। इस क्रम में आदेश क्रमांक एफ 4(5) ग्रावि-3/नरेगा/09-10 दिनांक 02.09.2009 एवं एफ 4(29)ग्रावि/ग्रुप-3/नरेगा/निरी./सम.राज./09-10 दिनांक 15.12.2009 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में इन आदेशों की पूर्ण पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों को दिए गए अग्रिम समायोजन, यूसी/सीसी व अंक मिलान करना सुनिश्चित किए जाने के क्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1(1) नरेगा/नकद/09-10 दिनांक 08.10.2009 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में इन आदेशों की पूर्ण पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. प्रतिवेदन के अनुसार निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय का स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा है इसके अभाव में कार्यों पर कितनी सामग्री उपयोग में ली गई, की जानकारी नहीं हो पाती है। अतः इसकी विस्तृत जांच करावें।
14. प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) के संधारण करने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक एफ. 4 (40) आरडी / नरेगा / ट्रें/स्टेट/09-10 दिनांक 23.10.2009 द्वारा जारी किये गये हैं। अतः जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्ति मय संचयी व्यय रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) का संधारण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
15. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4(42)/ग्रावि/नरेगा/ग्रुप-III/06-07 दिनांक 22.3.2007 के अनुसार नरेगा कार्यों का जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा मानदण्डों के अनुसार गहन निरीक्षण समय-समय पर किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा ना तो कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया और ना ही रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर एवं


परिसम्पत्ति रजिस्टर सहित पंचायत के किसी भी अभिलेख का निरीक्षण ही किया गया, जिसके कारण कार्यों के मौके एवं अभिलेख में अनियमितताएं किए जाने से संबंधित कार्मिकों को प्रोत्साहन मिला है और नरेगा कार्यों का इच्छित पूर्ण लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया है। निर्धारित मानदण्डानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कार्यों एवं अभिलेख का निरीक्षण नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई कराके प्रगति से अग्रगत करावें।

16. उक्त अनियमितताओं के मद्देनजर जिला एवं पंचायत समिति के स्तर से अधिकारियों द्वारा कार्यों एवं अभिलेख के निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में पूर्व दिशा-निर्देशों की निरन्तरता में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को पुनः पत्रांक एफ.4 (29) आरडी/नरेगा/पार्ट-II/निरीक्षण दिनांक 29.12.2009 से आदेश जारी किये हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए यह व्यवस्था की जावे कि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा प्रतिमाह 10 तारीख तक पिछले माह में जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों के निरीक्षण अधिकारी वार विवरण प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अ.शा. पत्र के माध्यम से प्रेषित करें। इस कार्य की सतत मोनिटरिंग की जानी आवश्यक है।

17. उक्त बिन्दुओं के मद्देनजर योजना के क्रियान्वयन में सुधार किया जाना आवश्यक है। आपके स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में उक्त अनियमितताओं एवं प्रतिवेदन में उल्लेखित अन्य अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रतिवेदन की बिन्दुवार अनुपालना/क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रेषित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई कराकर एक माह की अवधि में बिन्दुवार प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार



(सी. एस. राजन)

प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक: F-61(11) ग्रावि./नरेगा/सा.अ./वि.जां./बांसवाड़ा/09-10/500

दिनांक: 4.2.2010

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

2. आयुक्त एवं शासन सचिव, ई.जी.एस.

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

4. परियोजना निदेशक, ई.जी.एस.

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा जिला परिषद बांसवाड़ा को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

निदेशक

सामाजिक अंकेक्षण


ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा पंचायत समिति, आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा में दिनांक 01.04.2008 से 30.11.2009 के मध्य नरेगा योजनान्तर्गत किये गये/ करवाये जा रहे कार्यों एवं समस्त व्यय की विस्तृत विशेष जांच के संबंध में प्रतिवेदन

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश एफ 4 (4) ग्रावि/नरेगा/सा.अं./2009-10 दिनांक 18.12.2009 द्वारा ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा, पंचायत समिति आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा दिनांक 01.04.2008 से 30.11.2009 के मध्य नरेगा योजनान्तर्गत किये गये/ करवाये जा रहे कार्यों एवं समस्त व्यय की विस्तृत विशेष जांच किये जाने के संबंध में एक जांच कमेटी श्री मुकेश विजय अधिशाषी अभियंता ईजीएस को प्रभारी नियुक्त करते हुए गठित की गई। कमेटी के अन्य सदस्य श्री आर.एल. देवटिया, सहायक लेखाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग एवं श्री चन्द्रमहेश गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार ईजीएस थे। विभाग द्वारा आदेशों में संशोधन कर श्री आर.एल. देवटिया, सहायक लेखाधिकारी के स्थान पर श्री अशोक कुमार गर्ग, वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर को नियुक्त किया गया। विशेष जांच दल द्वारा दिनांक 23.12.2009 से 27.12.2009 के मध्य ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा तथा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिति आनन्दपुरी में रिकॉर्ड की जांच की गई तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया। कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों का निरीक्षण किया गया। दल के सहयोग हेतु जिला परिषद, बांसवाड़ा में कार्यरत श्री बदामीलाल जैन, कनिष्ठ लेखाकार की सेवाएं भी ली गई।

कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान श्री महेन्द्र बोहरा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति आनंदपुरी, श्री महीपाल कटारा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति आनंदपुरी एवं श्री आर.डी. दुबे, सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति आनंदपुरी भी दल के साथ उपस्थित थे।

ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा के रिकॉर्ड के निरीक्षण के दौरान श्री मणिलाल तीरगर, विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस पंचायत समिति आनंदपुरी, श्री हुरजी भाई पटेल, सरपंच, ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा, श्री देवीलाल पारगी, ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा तथा श्री नानुलाल, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत उदयपुरा बड़ा जांच दल के साथ उपस्थित रहे।

दिनांक 01.04.2008 से पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत पर कार्यरत रहे कार्मिको का पदस्थापन निम्नानुसार है :-



Page 1 of 22

क्र.सं.	नाम अधिकारी	अवधि
कार्यक्रम अधिकारी		
1.	महेश कुमार	01.04.08 से 16.07.08
2.	मणीलाल तीरगर	22.07.08 से 06.10.08
3.	जगदीश चन्द्र हेड़ा	16.10.08
4.	पुष्पेन्द्र सिंह लोहिया	32.10.08 से 02.03.09
5.	मणीलाल तीरगर	02.03.09 से लगातार
सहा. अभि.		
1.	पुष्पेन्द्र सिंह लोहिया	01.04.08 से 01.03.09
2.	आर.डी. दुबे	02.03.09 से लगातार
कनि. अभि.		
1.	जगदीश चन्द्र दुबे	01.04.08 से 31.03.09
2.	महेन्द्र बोरा	01.04.09 से लगातार
ग्राम सेवक		
1.	देवीलाल पारगी	01.04.08 से लगातार
सरपंच		
1.	हुरजी भाई	01.04.08 से लगातार
सहा. सचिव		
1.	नानुलाल डामोर	01.04.08 से लगातार

1. ग्राम पंचायत के अभिलेखों का निरीक्षण

सर्वप्रथम जांच दल द्वारा ग्राम पंचायत के निम्नलिखित अभिलेखों का निरीक्षण किया गया :-

1. रोकड बही वर्ष 2008-09।
2. रोकड बही वर्ष 2009-10।
3. कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां।

अभिलेखों के निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

1. रोकड बही वर्ष 2008-09 :-

- रोकड बही पर केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर किये गये हैं एवं ग्राम सेवक द्वारा रोकड बही पर कहीं भी हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।



- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिस तिथि को ग्राम पंचायत को राशि का आवंटन किया गया है, अधिकतम स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उसी तिथि को राशि का आहरण नकद किया गया है।
- वर्ष के दौरान दिनांक 03.11.2008 को श्रमिकों का भुगतान लैम्पस (मिनी बैंक) चांदरवाडा के माध्यम से बचत बैंक खातों में किया गया है। शेष सभी स्थिति में श्रमिकों का भुगतान एवं सामग्री का भुगतान नकद किया गया है।
- दिनांक 02.06.2008 को 12 कार्यों के विरुद्ध 11,89,018 रुपये का भुगतान एक ही दिन में किया गया है।
- दिनांक 03.11.2008 के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2008-09 में श्रमिक मद में कोई भुगतान नहीं किया गया है।
- रोकड बही में कई स्थानों पर ओवरराईटिंग की गई है एवं व्हाईट फ्ल्यूड का भी उपयोग किया गया है।
- रोकड बही में वाउचरों का अंकन सही तरीके से नहीं किया गया है। अलग-अलग वाउचरों को एक ही नंबर से अंकित किया गया है। दिनांक 25.04.2008 को एक ही नंबर 52 पर दो वाउचर रोकड बही के पृष्ठ सं. 12 पर अंकित किये गये हैं। इसी प्रकार 155 नंबर पर दो वाउचर दिनांक 16.06.2008 को रोकड बही के पृष्ठ सं. 39 व 40 पर अंकित किये हैं।
- 179 नम्बर वाउचर पर मस्टर रोल नं. 581038 से 47 तक रू. 88075 एवं वाउचर नं. 180 पर मस्टर रोल नं. 581048 से 57 तक रू. 90740 का भुगतान दिनांक 28.07.08 को लिखा गया है, परन्तु उसे काट दिया गया है। उक्त मस्टर रोल का पुनः इन्द्राज वाउचर नं. 187 व 188 पर दिनांक 14.08.08 को किया गया है। वाउचर नं. 179 व 180 अस्तित्व में नहीं है। वाउचर नं. 179 व 180 का इन्द्राज ग्राम रोजगार सहायक द्वारा किया गया था। वाउचर का इन्द्राज किये जाने का मतलब है कि वाउचर भुगतानशुदा था, परन्तु पंचायत के पास राशि ही उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में भुगतान होना संभव ही नहीं है। ग्राम सेवक द्वारा बताया गया कि वाउचर का इन्द्राज गलती से हो गया। अतः इन्द्राज को काट दिया गया, परन्तु यह गलती संभव नहीं है, क्योंकि वाउचर का भुगतान होने पर ही वाउचर का इन्द्राज रोकड बही में किया जाता



है । इस प्रकार मस्टर रोल संख्या 581038 से 47 तक रू. 88075 एवं मस्टर रोल संख्या 581048 से 57 तक रू. 90740 यानी कि कुल राशि 178815 रू. का भुगतान संदिग्ध है ।

- दिनांक 14.08.08 के इन्द्राज में व्हाईट फ्लूड का उपयोग किया गया है एवं अत्यधिक कांट-छांट की गई है । वाउचर संख्या 192, 193 एवं 195 नहीं है । वाउचर नं. 201 पर 2 वाउचर इन्द्राज किये गये है ।
- रोकड बही के पृष्ठ संख्या 53 पर दिनांक 14.08.08 को 943000 का व्यय दर्शाया जाकर अन्तिम शेष 483 रू. दर्शाया गया है, जबकि योग करने पर व्यय राशि 943500 होती है एवं इस प्रकार अन्तिम शेष (-) 17 रू. होना चाहिए । इस प्रकार रू. 500 का भुगतान कम किया गया है ।
- केश-बुक का पृष्ठ संख्या 54 खाली है । पृष्ठ संख्या 53 पर 216 नं. तक वाउचर अंकित किये गये है । पृष्ठ संख्या 55 से वाउचर नं. 106 से अंकित किये गये है ।
- रोकड बही पृष्ठ संख्या 62 पर किये गये इन्द्राज को व्हाईट फ्लूड से मिटा दिया गया है, जो कि अपठनीय है एवं पृष्ठ को खाली छोड़ दिया गया है ।
- पृष्ठ संख्या 65 से 67 खाली छोड़ दिये गये है । पृष्ठ संख्या 64 पर अन्तिम वाउचर 150 नम्बर पर अंकित है, परन्तु पृष्ठ संख्या 68 से वाउचर संख्या 172 से प्रारम्भ किये गये है । इस प्रकार वाउचर नं. 151 से 171 तक पर किसी वाउचर का इन्द्राज नहीं है ।
- रोकड बही के पृष्ठ संख्या 71 पर 182 नम्बर पर 2 वाउचर अंकित किये गये है । दोनो वाउचर रोट कृषि फार्म, घाणेवा बड़ा के है ।
- रोकड बही के अनुसार सरपंच एवं सचिव के पास रू. 500/- से अधिक नकद राशि निम्नानुसार रही :-

क्र.सं.	तिथि से तिथि तक	दिनों की संख्या	राशि
1.	25.04.08 से 09.05.08	15	41,979/-
2.	09.05.08 से 11.05.08	3	141979/-
3.	12.05.08 से 14.05.08	3	191979/-

[Handwritten signature]

4.	04.06.08 से 11.06.08	8	246453 / -
5.	19.11.08 से 24.11.08	6	1124483 / -
6.	25.11.08 से 29.11.08	5	644483 / -
7.	01.12.08 से 11.01.09	42	125483 / -
8.	16.01.09 से 19.01.09	4	269000 / -
9.	20.01.09 से 01.02.09	13	419083 / -
10.	01.02.09 से 14.02.09	15	284083 / -
11.	15.02.09 से 26.02.09	12	184083 / -
12.	27.02.09 से 02.03.09	4	428083 / -
13.	03.03.09 से 14.03.09	12	358083 / -
14.	15.03.09 से 24.03.09	10	108083 / -

↓ रू. 500 से अधिक राशि पर 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज सरपंच व सचिव से वसूलनीय है ।

2. रोकड बही वर्ष 2009-10 :-

- रोकड बही पर केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर किये गये है एवं ग्राम सेवक द्वारा रोकड बही पर कहीं भी हस्ताक्षर नहीं किये गये है ।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिस तिथि को ग्राम पंचायत को राशि का आवंटन किया गया है, अधिकतम स्थिति मे ग्राम मे ग्राम पंचायत द्वारा उसी तिथि को राशि का आहरण नकद किया गया है ।
- वर्ष के दौरान वर्ष 2009-10 में निम्नानुसार राशियां सरपंच एवं सचिव के पास में नकद शेष रही है :-

क्र.सं.	तिथि से तिथि तक	दिनों की संख्या	राशि
1.	27.04.09 से 28.04.09	1	375258 / -
2.	28.04.09 से 09.05.09	12	87257 / -
3.	09.05.09 से 16.05.09	7	687257 / -
4.	16.05.09 से 22.05.09	6	1432697 / -
5.	08.06.09 से 10.06.09	2	495728 / -
6.	19.06.09 से 23.06.09	4	405073 / -
7.	28.07.09 से 30.07.09	2	748373 / -

[Handwritten signature]

8.	30.07.09 से 11.08.09	12	249100 / -
9.	11.08.09 से 27.12.09	136	558000 / -
10.	08.09.09 से 16.10.09	8	226273 / -
11.	16.10.09 से 26.10.09	10	846273 / -
12.	26.10.09 से 27.12.09	62	1346273 / -

↓ रू. 500 से अधिक राशि पर 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज सरपंच व सचिव से वसूलनीय है ।

- दिनांक 22.05.09 को रोकड बही की योग में 9 रू. का शेष कम पकड़ा गया । वास्तविक व्यय योग 1388960 रू. होना चाहिये था, उसके बजाय 1388969 रू. का योग लगा कर 9 रू. कम पाया गया ।
- दिनांक 10.06.09 को अन्तिम बचत राशि 552528 होनी चाहिये थी, परन्तु रोकड बही के पृष्ठ संख्या 41 पर अन्तिम पोते 648528 रू. दर्शाये गये । इस प्रकार राशि रू. 96000 की राशि अन्तिम राशि कहां से लाई गई । यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह एक गम्भीर अनियमितता है । बाद की तिथियों में इस 96000 की राशि का कोई समायोजन नहीं पाया गया । इससे स्पष्ट होता है कि वित्तिय अनुशासनहीनता की गई तथा यह राशि कहां से प्राप्त हुयी इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इससे रोकड बही संदिग्ध हो गई है ।
- दिनांक 10.06.09 को पंचायत की रोकड बही के अनुसार 17028 रू. शेष बताये हैं, जबकि वास्तविक अन्तिम शेष ऋणात्मक राशि के रूप में -78972 होता है, जबकि रोकड का शेष कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है । यह प्रविष्टि रोकड बही के पृष्ठ 43 पर अंकित है ।
- दिनांक 23.06.09 को रोकड बही के पृष्ठ संख्या 51 पर व्यय का योग 300 रू. से अधिक लगा कर शेष घटाया गया है । इस प्रकार योग अधिक लगा कर 300 रू. का गबन किया गया है ।
- दिनांक 28.07.09 को रोकड बही के पृष्ठ संख्या 60 के अनुसार कुल राशि जो उपलब्ध थी वह 895073 थी, जिसमें से राशि रू. 51000 रू. का व्यय किया गया है । इस प्रकार अन्तिम शेष 844073 रहना चाहिये था, उसके स्थान पर अन्तिम शेष 808073 बताकर राशि रू. 36000 रू. का रोकड पोते कम बताकर गबन किया गया ।



- दिनांक 11.08.09 को 558000 रु. का नकद भुगतान सरपंच को करना बताया गया है, जबकि रोकड शेष 499273/- ही होना चाहिएं था । इसी तिथी को चैक संख्या 100050 से रु. 820000/- तथा चैक संख्या 100051 से 820000/- कुल योग रु. 2198000/- सरपंच को रोकड बही के अनुसार बिना किसी प्रयोजन के दिये गये । दिनांक 11.08.2009 के पश्चात् रोकड बही में किसी प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं है । इस प्रकार दिनांक 11.08.09 को दी गई नकद राशि रु. 2198000/- दिनांक 27.12.09 तक पंचायत कोष में जमा नहीं कराये गये है । इस प्रकार 2198000/- की राशि दिनांक 11.08.09 से सरपंच के पास होना बताया जाना 4 माह 13 दिन की अवधि तक रिपोर्ट लिखने तक सरपंच के निजी उपयोग में ली जाना स्पष्ट होता है, जो कि गबनता की परिभाषा में आता है । अतः दोषी व्यक्ति से उक्त राशि अविलम्ब वसूल की जावे एवं इस पर 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज भी वसूल की जावे एवं ग्राम सेवक के विरुद्ध नियम विरुद्ध राशि रु. 2198000/- अनियमित रूप से जारी करने एवं लम्बे समय तक पुनः वसूली का प्रयास नहीं करने से राजकीय राशि कोष से बाहर रही इस हेतु इसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी जावे । इस हेतु कार्यक्रम अधिकारी भी उत्तरदायी है उनके द्वारा कोई भी नियंत्रण नहीं रखा गया जिसके कारण राज्य सरकार को यह हानि हुई है।

अतः इस हानि के लिए वे भी उत्तरदायी है। दिनांक 11.08.09 को रोकड में दोष के द्वारा सरपंच को भुगतान बताया गया है जबकि शेष ले

- दिनांक 11.08.09 के पश्चात् रोकड बही में कोई इन्द्राज नहीं होने के कारण जांच दल द्वारा बैंक से ग्राम पंचायत के नरेगा खाते का स्टेटमेंट प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 08.09.09 को 285000/- का नकद आहरण किया गया, लेकिन इसके कोई वाउचर उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार दिनांक 16.10.09 को 620000/- की राशि एवं दिनांक 26.10.09 को 500000/- का आहरण किया गया है, जिनके वाउचर भी सचिव एवं सरपंच के पास उपलब्ध नहीं है । दिनांक 04.09.2009 को ग्राम पंचायत के नरेगा खाते में रु. 602407/- की राशि जमा की गई है, जिसके बारे में सचिव एवं सरपंच से मौखिक पुछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि यह राशि बीआरजीएफ की है, जो गलती से नरेगा मद में जमा हो गई है एवं इसकी पुष्टि कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, आनन्दपुरी द्वारा भी की गई ।

1: चैंकों के अवलोकन पर पाया गया कि राशि का आहरण सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया गया है- चैंक Bearce है

- इस प्रकार बीआरजीएफ मद की राशि रू. 602407/- की राशि को कार्यक्रम अधिकारी (नरेगा) के पत्र अनुसार इसमें से घटा दी जावे तब भी दिनांक 08.09.09, 16.10.09 एवं 26.10.09 को बैंक से आहरित कुल राशि 14,05,000 में से रू. 802593/- का गबन सरपंच एवं सचिव द्वारा होना सिद्ध होता है ।
- वाउचर संख्या 11 दिनांक 15.04.09 के सब वाउचर संख्या 8 वाउचर फाईल में वाउचर राशि रू. 15000 का है, परन्तु मेसर्स चरपोटा कृषि फार्म रतनपुरा को रू. 15000 के स्थान पर 16000 रू. का भुगतान किया गया है । मेसर्स चरपोटा कृषि फार्म रतनपुरा की प्राप्ति रसीद भी नहीं है । इस प्रकार रू 1000 का गबन हुआ है ।
- दिनांक 23.06.09 को 300 रू. का अधिक योग लगाया गया तथा दिनांक 28.07.09 को गलत योग लगाकर 36000/- की राशि का गबन किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनो तिथियों में कुल 36300/- की राशि का भी गबन किया गया है । सभी गबन की राशियों यथा रू. 2198000/-, रू. 802593/-, रू. 1000/-, 36300/-, का योग लगाने पर कुल राशि 3037893/- की राशि का गबन होना पाया गया ।
- दिनांक 20.04.09 को वाउचर संख्या 11 से लेम्स के माध्यम से 2182500/- का भुगतान श्रमिकों को किया गया है, लेकिन दिनांक 16.05.09 तथा 22.05.09 को राशि 274560 + 1388969 कुल योग 1663529/- का श्रमिकों को भुगतान नकद किया गया है, जब श्रमिकों के खाते लेम्स में खोल दिये गये थे तथा माह नवम्बर, 08 में तथा माह अप्रैल, 09 में लेम्स के माध्यम से श्रमिकों को भुगतान किये गये तो माह मई, 09 में नकद भुगतान का कारण स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को नकद भुगतान पर रोक लगा दी गई है । यह भी देखा गया है कि मई, 09 में माह दिसम्बर, 08 के मस्टर रोलो का भुगतान किया गया है, जो कि 4 से 5 माह विलम्ब से भुगतान किया गया है । एक्ट के अनुसार 15 दिवस में श्रमिकों को भुगतान किया जाना चाहिए ।
- निर्माण सामग्री क्रय हेतु कोई निविदा नहीं की गई है तथा अपनी इच्छानुसार फर्मों से इच्छानुसार सामग्री क्रय की है ।
- निर्माण सामग्री का कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं पाया गया ।



- निर्माण सामग्री पत्थर आदि प्राप्त किये गये है, उनका कोई लॉग बुक नहीं है, जिससे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि कितने ट्रिप माल पंचायत ने प्राप्त किया गया । इसके अतिरिक्त वास्तव में सामग्री की मात्रा क्या रही है, पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सामग्री प्राप्त करने की ईकाई अंकित नहीं है । सामग्री की ईकाई अंकित नहीं होने के कारण कार्यस्थल पर माप पुस्तिका के अनुसार वास्तव में उपयोग में ली गई सामग्री से मिलान किया जाना संभव नहीं होता है ।
- रोकडबही पुस्तिका के सामग्री भुगतान के बिलो का मिलान करने पर पाया गया कि सीमेंट आपूर्तिकर्ता के बिल जिस तिथि को दिये गये है, उससे पूर्व तिथि में ही रोकडबही में उनकी प्रविष्टि कर दी गई है, जो कि संभव ही नहीं है, इस प्रकार के बिलो का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	फर्म का नाम	सामग्री	मात्रा	दर	राशि	बिल संख्या एवं दिनांक	केश बुक में दर्ज वाउचर्स एवं एन्ट्री	
							बिल संख्या एवं दिनांक	राशि
1.	मै. भेरवनाथ मार्बल	सीमेंट	80 कट्टे	225	18000	29 / 03.01.09	233 / 30.11.08	18000
2.	मै. भेरवनाथ मार्बल	सीमेंट	82 कट्टे	222	18204	24 / 28.12.08	234A / 30.11.08	18000
3.	मै. भेरवनाथ मार्बल	सीमेंट	82 कट्टे	222	18204	18 / 23.12.08	232 / 30.11.08	18000
4.	मै. भेरवनाथ मार्बल	सीमेंट	82 कट्टे	220	18040	10 / 14.12.08	230 / 30.11.08	18040
5.	मै. भेरवनाथ मार्बल	सीमेंट	81 कट्टे	222	17982	16 / 19.12.08	235 / 19.12.08	17982

उपरोक्त सीमेंट का इन स्टॉक रजिस्टर में कहीं भी इन्द्राज नहीं है । इसी प्रकार वाउचर संख्या 233 जो कि रोकड बही में 30/11/08 को दर्ज है, जिसके अनुसार सतीश/भारता के निजी कूप निर्माण में 82 कट्टे सीमेंट देना बताया है, जबकि कार्य का भौतिक सत्यापन श्री मुकेश विजय अधिशाषी अभियंता (EGS) द्वारा किये जाने पर मौके पर कोई सीमेंट नहीं पाई गई न ही मौके पर सीमेंट को कोई उपयोग किया जाना पाया गया । मौके पर सचिव से सत्यापन कराने में असमर्थता व्यक्त की । इस प्रकार राशि रू. 90022 के सीमेंट बिल भी संदिग्ध प्रतीत होते है, क्योंकि बिल जारी होने की तिथि से पूर्व ही रोकडबही में दर्ज होना संदिग्ध होना प्रमाणीत करता है । अतः राशि रू. 90022

रू. सचिव एवं सरपंच से वसूली प्रस्तावित की जाती है । इसके अतिरिक्त अन्य निर्माण सामग्री के वाउचर्स भी देखे गये तो अधिकांश वाउचरों पर बिल जारी करने की तिथि अंकित नहीं पायी गई एवं समस्त बिलों पर कोई स्ट्रॉक एन्ट्री नहीं पायी गई एवं राशि प्राप्तकर्ता को राशि प्राप्त होने की कोई रसीद नहीं पायी गई । इससे इन बिलों का भुगतान संदिग्ध होना प्रतीत होता है ।

3. कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां :-

ग्राम पंचायत में कुल 193 कार्य दिनांक 01.04.08 से आज दिनांक तक कराये गये हैं, इनमें 43 कार्य भूमि समतलीकरण एवं वृक्षारोपण से सम्बन्धित हैं तथा 35 कार्य नवीन कूप निर्माण मय पूनर्भरण स्ट्रक्चर के हैं । शेष कार्य चेकडेम, तलावडी निर्माण, ग्रेवल सडक निर्माण एवं एनिकट निर्माण के हैं । एनिकट निर्माण का केवल एक कार्य कराया गया है, जबकि सडक निर्माण के 8 कार्य कराये गये हैं । शेष कार्य चेकडेम एवं तलावडी निर्माण के हैं । चेकडेम के कार्यों एवं तलावडी निर्माण पर मिट्टी का कार्य एवं पत्थर की पिचिंग के कार्य कराये गये हैं । ग्रेवल सडक के कार्यों में मिट्टी के कार्य के साथ मोरम डाली गई है ।

कार्यों से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियों का अवलोकन किया गया एवं निम्न तथ्य पाये गये हैं :-

- सामग्री की आपूर्ति यथा पत्थर, रेती, मुरम एवं मिट्टी, ट्रैक्टर की ट्रिप के आधार पर की गई है, न कि ईकाई के आधार पर, जिसके कारण आपूर्ति की गई मात्रा की गणना किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है ।
- सभी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नकद किया गया है ।
- बिल पर सरपंच द्वारा अंकित किया गया है कि "मेरे द्वारा भुगतान किया गया", परन्तु भुगतान की प्राप्ति का इन्द्राज नहीं है । सचिव द्वारा किसी भी भुगतान को सत्यापित नहीं किया गया है ।
- अधिकांश केश वाउचर्स पर आपूर्ति की दिनांक अंकित नहीं है ।
- किसी आपूर्तिकर्ता फर्म के पास टिन नं. अथवा आर.एस.टी./सी.एस.टी. नम्बर उपलब्ध नहीं है ।
- किसी भी बिल में ट्रिप का विवरण अंकित नहीं है, कि आपूर्ति किस तारीख से किस तारीख तक की गई है एवं एक दिन में कितने ट्रिप किये गये हैं ।



- पत्थर, रेती एवं गिट की आपूर्ति अधिकतर पटेल ट्रेक्टर कृषि फार्म मु. पो. उदयपुरा बड़ा, चरपोटा कृषि फार्म, रतनपुरा (उदयपुरा बड़ा), रोत कृषि फार्म घाणेवा बड़ा (उदयपुरा बड़ा), कटारा कृषि फार्म चोरडी (नवापाड़ा) के माध्यम से की गई है । इन सभी फर्मों के बिल पक्के हैं एवं कुछ बिलों पर बिल क्रमांक मुद्रित है एवं कुछ पर पेन से अंकित किये गये हैं ।
- भूमि समतलीकरण एवं वृक्षारोपण के कार्यों के लिये पारगी नर्सरी चौथमाल से पौधों की आपूर्ति का बिल प्राप्त किया गया है, जो कि कच्चा बिल है । बिल के माध्यम से 1720 पौधे 50/- रु. प्रति पौधे के हिसाब से क्रय किये गये हैं । बिल पर अंकित है कि प्रत्येक कार्य के लिये 40 पौधे लिये गये हैं एवं बिल की प्रति भूमि समतलीकरण एवं वृक्षारोपण के कार्यों की पत्रावलियों में लगाई गई है ।
- जिन पत्रावलियों में कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र लगाये गये हैं, उनमें किसी में भी जारी करने की तिथि तथा समायोजन की तिथि अंकित नहीं है । इसी प्रकार जारी करने वाले एवं समायोजन करने वाले कार्मिक का नाम अंकित नहीं है । जिन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं, उन सभी में माप पुस्तिका की फोटो प्रति सलंगन की गई है ।
- कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र में कार्य आरम्भ होने की तिथि एवं कार्य समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है ।
- किसी भी मस्टर रोल पर पारित आदेश अंकित नहीं है एवं न ही भुगतान की तिथि अंकित है । इसी प्रकार भुगतान प्राप्त करने वाले श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी को प्रमाणित भी नहीं किया गया है । अधिकतर मस्टर रोल पर किसी भी निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे यह अवगत होता है कि कार्यों का निरीक्षण किया ही नहीं गया है ।
- पत्रावली में तकनीकी स्वीकृती, वित्तिय स्वीकृती प्रपत्र लगाये गये हैं, परन्तु तखमीने की प्रति उपलब्ध नहीं है ।

4. निर्माण कार्यों के निरीक्षण :-

जांच अवधि के दौरान कोई भी कार्य प्रगतिरत् नहीं था । जांच दल द्वारा किये गये कार्यों के निरीक्षणों पर टिप्पणी निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति	टिप्पणी	वसूली की राशि	उत्तरदायी व्यक्ति	प्रस्तावित कार्यवाही
1.	निजी कूप निर्माण मय पूनर्भरण स्ट्रक्चर वालजी / पुंजा पीथापुरा कोड नं. 140580	4305-14 दिनांक 02.03.09	<p>कार्य प्रगति पर है। लाभार्थी मौके पर मिला एवं उसने बताया कि लगभग 30 फिट तक खुदाई की जा चुकी है। पानी कुरें में आ गया है, परन्तु कम है। मौके पर पम्प सेट भी लगा हुआ था तथा लाभार्थी द्वारा गेहूं की फसल तथा सब्जी की बिजाई की हुई थी। लाभार्थी कार्य से प्रसन्न था। बताया गया कि भुगतान सरपंच द्वारा पूर्णरूपेण किया गया है। सीमेंट, पत्थर एवं रेती नहीं दी गई है। अभी खुदाई और करना बाकी है, उसके उपरान्त ही कुरें को बांधने का कार्य किया जावेगा। खुदाई के लिये लगभग 300 होल किये गये हैं। पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। कार्य की पत्रावली के अनुसार कार्य पर रु. 16100/- के पत्थर, रु. 3600/- की रेती की आपूर्ति दर्शायी गई है तथा 970 ब्लॉस्टिंग होल रु. 75/- प्रति होल की दर से रु. 70500/- का बिल लगाया गया है। रु. 75 प्रति होल की दर से रु. 70500/- में 970 के स्थान पर 940 होल ही होते हैं। अतः बिल की राशि के आधार पर 940 होल माना जाना उचित है।</p> <p>मौके की स्थिति एवं लाभार्थी के बयानों के आधार पर निम्नानुसार राशि वसूली योग्य है:-</p> <p>(अ) पत्थर आपूर्ति की राशि रु. 16100/- (ब) रेती आपूर्ति की राशि रु. 3600/- (स) 640 होल के रु. 75/- प्रति होल की दर से राशि रु. 48000/- कुल राशि रु. 67700/-</p>	67700	सरपंच	कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाया जाकर शेष राशि सरपंच से वसूल किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति	टिप्पणी	वसूली की राशि	उत्तरदायी व्यक्ति	प्रस्तावित कार्यवाही
2.	निजी कूप निर्माण मय पूनर्भरण स्ट्रक्चर मनजी / रामजी पीथापुरा कोड नं. 160676	7853 दिनांक 2.01.08	<p>कार्य प्रगति पर है। लाभार्थी मौके पर नहीं मिला, परन्तु उनके परिवार के सदस्यों से वार्ता की गई एवं उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 50 फिट तक खुदाई की जा चुकी है। पानी कुरें में आ गया था, परन्तु कुआं बह जाने के कारण कार्य कराना होगा। बताया गया कि भुगतान सरपंच द्वारा पूर्णरूपेण किया गया है। सीमेंट 30 बैग दिये गये तथा पत्थर की राशि पूरी नहीं दी, पत्थर की आपूर्ति के लिये 8000 रु. दिये गये। लगभग 480 होल किये गये, परन्तु कोई रिकॉर्ड नहीं है। कुरें को बांधने का कार्य किया गया, परन्तु बह जाने के कारण बंधाई का कुछ कार्य भी गिर गया। कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। कार्य की पत्रावली के अनुसार कार्य पर रु. 14000/- के पत्थर, रु. 7200/- की रेत की आपूर्ति दर्शायी गई है तथा 800 ब्लॉस्टिंग होल रु. 75/- प्रति होल की दर से रु. 60000/- का बिल लगाया गया है। 80 बैग सीमेंट रु. 222/- की दर से आपूर्ति किया जाना दर्शाया गया है।</p> <p>कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।</p>	33900	सरपंच	कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाया जाकर शेष राशि सरपंच से वसूल किया जाना प्रस्तावित है।
3.	चेकडेम वरजी / कालु से लालजी / कालु तक		<p>कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य कॉफी उपयोगी रहा है एवं वर्तमान में इस स्थान पर खेती की जा रही है। कार्य पर मिले कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि भुगतान 8 से 10 दिन में किया गया था। कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। पूर्णता प्रमाण-पत्र पर कार्य की समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है। कार्य की माप पुस्तिका के अनुसार कार्य पर 349.</p>	41739	कार्य का उपयोगिता / पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी	सम्बन्धित कार्मिक से वसूली प्रस्तावित है।

(Signature)
Page 13 of 29

क्र.सं.	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति	टिप्पणी	वसूली की राशि	उत्तरदायी व्यक्ति	प्रस्तावित कार्यवाही
4.	ग्रेवल सडक निर्माण मुख्य सडक श्मशान घाट तक जालिमपुरा से		<p>कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य बहुत ज्यादा उपयोगी है। कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। पूर्णता प्रमाण-पत्र पर कार्य की समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है। कार्य की माप पुस्तिका एवं पत्रावली में उपलब्ध मस्टर रोल के अनुसार कार्य माह मई, 2008 से माह मई, 2009 तक प्रगतिरत रहा है। कार्य पर कुल रू. 482450/- का व्यय किया गया है, जिसमें 346550/- रू. श्रम मद में एवं 135900/- रू. सामग्री मद में व्यय किये गये हैं। कार्य पर 1138.93 घन मीटर, मुर्रम का उपयोग दर्शाया गया है। कार्य पर 1575 घन मीटर मुर्रम की आपूर्ति दर्शायी गई है। इस प्रकार इस कार्य पर 436 घन मीटर की आपूर्ति अधिक दर्शायी गई है। माप पुस्तिका के अनुसार दर रू. 96.50 प्रति घन मीटर की दर से कार्य पर रू. 42074/- रू. की राशि वसूली योग्य है।</p>	42074	कार्य का उपयोगिता / पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी	सम्बन्धित कार्मिक वसूली प्रस्तावित है।

(Signature)

क्र.सं.	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति	टिप्पणी	वसूली की राशि	उत्तरदायी व्यक्ति	प्रस्तावित कार्यवाही
5.	निजी कूप निर्माण मय पूनर्भरण स्ट्रक्चर सतीशा/भारता जालिमपुरा कार्य का कोड 160680	7853 दिनांक 02.01.08	कार्य प्रगति पर है। लाभार्थी मौके पर मिला। कुरें में लगभग 6 से 7 फीट पानी भी उपलब्ध था। प्रार्थी द्वारा ब्लॉस्टिंग होल की पूरा विवरण बनाया हुआ था, जिसके अनुसार 819 ब्लॉस्टिंग होल किये गये हैं। कार्य पर घर के लोगो द्वारा ही कार्य किया गया है। कार्य कॉफी अच्छा है एवं लाभार्थी भी कार्य से अत्यन्त संतुष्ट है। मस्टर रोल का भुगतान लाभार्थी के अनुसार समय पर किया गया है। कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।	शून्य	कोई नहीं	कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाया जाकर राशि वसूली योग्य होने पर नियमानुसार वसूल किया जाना प्रस्तावित है।
6.	एनिकट निर्माण बड़ा तालाब		कार्य वर्ष 2006-07 में स्वीकृत किया गया था। कार्य लगभग पूर्ण है। एवं कार्य की उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। कार्य की स्वीकृत राशि 4.62 लाख है एवं इस पर अभी तक 364150/- रु. का व्यय किया जा चुका है। कार्य अच्छी प्रकृति का है एवं इसमें निरीक्षण के दौरान पानी भी भरा हुआ था। कार्य की पत्रावली के अनुसार कार्य पर 255 कट्टे सीमेन्ट का उपयोग किया गया है। जिसकी कुल राशि रु. 50439/- दर्शाई गई है। सीमेन्ट रजिस्टर्ड फर्म से लिया गया है एवं फर्म का पक्का बिल लगाया गया है। कार्य स्थल पर पानी होने के कारण कार्य की माप नहीं की जा सकी परन्तु आस-पास के लोगों द्वारा भी बताया गया कि कार्य सही ढंग से किया गया है।	शून्य	कोई नहीं	कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किया जाकर यदि कोई राशि वसूली योग्य पाई जाती है तो नियमानुसार सम्बन्धित से वसूल किया जाना प्रस्तावित है।

Page 15 of 29

(Signature)

क्र.सं.	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति	टिप्पणी	वसूली की राशि	उत्तरदायी व्यक्ति	प्रस्तावित कार्यवाही
7.	चैक डेम प्रमु/नग जी के घर से कर्मा/हव जी के घर तक		कार्य वर्ष 2006-07 में स्वीकृत है। कुल स्वीकृत राशि 4.99 लाख है। जिस पर 463950/- रु. व्यय किये गये है। कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कार्य की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है। इन चैकडेम की श्रुखला से खेतों को तैयार किया गया है एवं इसकी वजह से क्षेत्र में हरियाली नजर आ रही है। कार्य अच्छी प्रकृति का है एवं सही किया हुआ है।	शून्य	कोई नहीं	
8.	नवीन कूप (निजी) मय पुर्नभरण स्ट्रक्चर गणेश/काना कार्य का कोड 140584	4305 दिनांक 02.03.09	कार्य की स्वीकृति वर्ष 2008-09 में रुपये 2.97 लाख की गई है। कार्य लगभग पूर्ण है। कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। कार्य के विरुद्ध श्रम मद में रु. 13000/- एवं सामग्री मद में रु. 90300/- का व्यय बताया गया है। कूप में लगभग 20 फीट पानी उपलब्ध है एवं कार्य अच्छी प्रकृति का है। कार्य पर पुर्नभरण स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है।	उपलब्ध नहीं		कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किया जाकर यदि कोई राशि वसूली योग्य पाई जाती है तो नियमानुसार सम्बन्धित से वसूल किया जाना प्रस्तावित है।
9.	तलावडी निर्माण रामजी/के बाला खेत में		कार्य अच्छा किया गया है। कार्य की स्वीकृति वर्ष 2007-08 में कुल राशि 4.74 लाख की गई है। कार्य के विरुद्ध रु. 455450/- का व्यय बताया गया है। कार्य पूर्ण है एवं कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। कार्य स्थल पर कुछ क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। जिसके कारण कार्य की माप नहीं की जा सकी।	शून्य		

क्र.सं.	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति	टिप्पणी	वसूली की राशि	उत्तरदायी व्यक्ति	प्रस्तावित कार्यवाही
10.	ग्रेवल सड़क मय पुलिया प्राथमिक विद्यालय उपला पाडा गणेश मंदिर झण्डावाला तक		कार्य वर्ष 2006-07 में स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत राशि रू. 4.99 लाख है। कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस पर श्रम मद में रू. 259600/- तथा सामग्री मद में रू. 232000/- कुल रू. 491600/- व्यय किये गये है। कार्य बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। कार्य पर कुल 1962.77 क्यूबिक मीटर मुरम का उपयोग माप पुस्तिका के अनुसार दर्शाया गया है, जबकि कार्य पर 898 ट्रीप मुरम बताई गई है जिसकी मात्रा लगभग 2245 क्यूबिक मीटर होती है। कार्य की पूर्ण माप संभव नहीं हो पाई है परन्तु माप के अनुसार अनुमानित 1705 क्यूबिक मीटर मुरम का उपयोग होना पाया गया है। कार्य की दर रू. 96 के अनुसार रू. 51840/- की राशि वसूली योग्य है।	51840	कार्य का उपयोगिता / पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी	सामग्री मद में पौधों की खरीद पर किया गया व्यय रू. 86000/- के अतिरिक्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाया जाकर यदि कोई राशि वसूली योग्य है तो यह राशि भी सरपंच से वसूल किया जाना प्रस्तावित है।
11.	भूमि समतलीक एवं बागवानी / वृक्षारोपण कार्य का कोड 150851 से 150893	5812 दिनांक 20.09.07	वर्ष 2007-08 में उक्त प्रकृति के 43 कार्य स्वीकृत किये गये है। इन कार्यों में से 10 कार्यों का निरीक्षण किया गया। सभी कार्यों पर भूमि समतलीकरण का कार्य तो कराया गया है परन्तु वृक्षारोपण का कार्य किसी भी स्थान पर नहीं किया गया है। किसी भी कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। पत्रावलीयों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि सभी कार्यों पर पारगी नर्सरी चौथमाल से पौधों की आपूर्ति का बिल प्राप्त किया गया है, जो कि कच्चा बिल है। बिल के माध्यम से 1720 पौधे 50/- रू. प्रति पौधे के हिसाब से क्रय किये गये है। बिल पर अंकित है कि प्रत्येक कार्य के लिये 40 पौधे लिये गये है एवं इस प्रकार इन सभी 43 कार्यों पर प्रति कार्य रू. 2000/- का सामग्री मद में व्यय दर्शाया गया है, जबकि यह कार्य किया ही नहीं गया है। अतः पौधों की खरीद पर किया गया रू. 86000/- वास्तव में किया ही नहीं गया है एवं यह राशि वसूली योग्य है।	86000	सरपंच	सामग्री मद में पौधों की खरीद पर किया गया व्यय रू. 86000/- के अतिरिक्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाया जाकर यदि कोई राशि वसूली योग्य है तो यह राशि भी सरपंच से वसूल किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति	टिप्पणी	वसूली की राशि	उत्तरदायी व्यक्ति	प्रस्तावित कार्यवाही
12.	चैकडेम डीएलटी लालजी / मकन के खेत से बेजावली खोती तक		कार्य की स्वीकृति रू. 4.99 लाख की है। जिसके विरुद्ध रू0 467850 / -- का व्यय किया गया है। कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। माप पुस्तिका के अनुसार 318.29 क्यूबिक मीटर पत्थर का उपयोग किया गया है। कार्य की पत्रावली के अनुसार कार्य पर 90 ट्रीप पत्थर अर्थात लगभग 225 क्यूबिक मीटर पत्थर की आपूर्ति की गई है। कार्य की माप के अनुसार कार्य पर 228 क्यूबिक मीटर पत्थर का उपयोग किया गया है। कार्य पर मापी गई अधिक आपूर्ति 90.29 क्यूबिक मीटर की राशि रू. 27087 / -- वसूली योग्य है।	27087	उपयोगिता व पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी	

Handwritten signature

5. अन्य विशेष बिन्दु :-

- नवीन कूप निर्माण के लिए ब्लॉस्टिंग होल के बिल एक ही तारीख में लिये गये एवं समान नं. ब्लॉस्टिंग होल किये जाने बताये गये हैं, जो कि संभव नहीं है।
- नवीन कूप निर्माण के कार्यों की सामग्री की एमआईएस पर प्रविष्टि एवं वास्तव में प्राप्त बिल जो कि पत्रावली/रोकड बही में अंकित है में कोई ताल मेल नहीं है। एमआईएस पर जिस तिथि में बिल का भुगतान दर्शाया गया है, रोकड बही में उस तिथि में उस बिल का कही कोई इंड्राज नहीं है।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कार्मिक का नाम अंकित नहीं।
- कार्य पर आपूर्ति की गई सामग्री एवं प्रयोग में ली गई सामग्री का तालमेल नहीं।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा राशि जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की रोकड बही अथवा उसके पास शेष राशि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मस्टररोल जारी नहीं किये जाने के बावजूद सामग्री मद के लिए राशि जारी की गई।
- राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी मस्टररोल पर नियोजित श्रमिकों को नगद भुगतान किया गया।
- सामग्री मद में समस्त व्यय सम्बन्धित फर्म को नगद किया गया।
- ग्राम पंचायत की रोकड बही चार माह से नहीं भरी जाने के बावजूद कार्यक्रम अधिकारी द्वारा राशि जारी की गई।
- कार्य की मूल्यांकन राशि एवं कार्य पर वास्तविक व्यय के आधार पर जारी किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किये गये कार्य की प्रकृति, माप के प्रकार एवं व्यय में तालमेल की आवश्यकता।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पंचायत के पास बड़ी मात्रा में रोकड शेष रहते हुए भी उक्त पंचायत को और राशि जारी की जाती रही है जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उनकी भी सहभागिता/संलिप्तता व पर्यवेक्षणीय उदासीनता रही जिसके कारण से सरपंच व सचिव को इतनी बड़ी राशि गबन करने का अवसर मिला। कार्यक्रम अधिकारी अपने कर्तव्य पालन में पूर्णतया असमर्थ रहे।
- कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में राशि आवंटन का कोई आधार नहीं मिला। ग्राम पंचायत की मांग तथा उस पर कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता की अनुशंसा के आधार पर ही न्यायोचित तरीके से ही राशियों का आवंटन किया जाना था, लेकिन वर्तमान कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था कायम नहीं रखी गई व उनकी स्वेच्छा से धनराशि ग्राम पंचायत को जारी की गई जो कि गबन का एक कारण बना।

- बडी राशियाँ जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की रोकड बही तथा पेन्डिंग वाउचर्स की सूची मांग करना व वाउचर्स का अवलोकन करना चाहिए थो जिससे सरपंच व सचिव अनावश्यक राशि प्राप्त ही नहीं कर पाते। इस हेतु कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदायी है।
- लेम्पस् में खाते खुलने के पश्चात् भी तथा अप्रैल, 09 में लेम्पस् के माध्यम से भुगतान के पश्चात् भी माह मई 09 में रु. 1663529/- का श्रमिकों को नकद भुगतान होना मस्ट्रोल्स के भुगतान पर संदेह प्रकट करता है। जब लेम्पस् में खाते खुल चुके थे तो नकद भुगतान का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता।
- ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री भुगतान की सभी राशियाँ नकद भुगतान की गईं जबकि पंचायत एक्ट व विभागीय नियमों के अनुसार राशि रु. 1000/- से अधिक का भुगतान रेखांकित चेक के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस हेतु जिला कलक्टर बांसवाडा ने भी लिखित में आदेश जारी कर रखे हैं उनके आदेश की भी ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई तथा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस एक्ट की पालना तथा जिला कलक्टर के आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः पंचायत की गतिविधियों पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता था लेकिन वे अपने संबंधों के प्रति पूर्णतः उदासीन रहे।
- कार्यक्रम अधिकारी तथा ग्राम पंचायत का बैंक लेखा एक ही बैंक "बैंक ऑफ बडोदा आनन्दपुरी शाखा" में है। तथा बैंक भी इनके कार्यालय केम्पस् में ही स्थित है। अतः ग्राम पंचायत की गतिविधियों पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता था लेकिन वे अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः उदासीन रहे।
- बैंक स्टेटमेन्ट निकलवाकर अगर मिलान कार्य किया जाता तो ऐसी स्थिति को रोका जा सकता था लेकिन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कोई भी ऐसा उपाय नहीं किया गया।

6. प्रस्तावित कार्यवाही :-

- सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति के विरुद्ध अपने कार्य के प्रति उदासीनता, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करना, राज्य सरकार के आदेशों की अवेहलना करना तथा राशि का आवंटन नियमानुरूप नहीं करने के कारण सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरा बडा एवं सचिव ग्राम पंचायत उदयपुरा बडा को बडी राशि गबन करने की अनियमितता स्पष्ट होती है। अतः उन्हें आरोप पत्र जारी कर निलम्बित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
- सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरा बडा श्री हुरजी भाई पटेल एवं ग्राम सचिव श्री देवी लाल पारगी के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।



- ग्राम पंचायत उदयपुरा बडा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं में कराये गये कार्यों तथा उनकी रोकड बही की जांच कराया जाना भी प्रस्तावित है। मुख्य रूप से बीआरजीएफ की रोकड बही की जांच किया जाना अतिआवश्यक है, क्योंकि कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति आनंदपुरी, सरपंच ग्राम पंचायत उदयपुरा बडा तथा सचिव ग्राम पंचायत उदयपुरा बडा द्वारा लिखित में यह विश्वास दिया है कि ग्राम पंचायत के नरेगा बैंक खाते में रू0 602407/- की राशि बीआरजीएफ मद की गलती से जमा हो गई है एवं नरेगा बैंक खाते से उक्त राशि आहरित कर बीआरजीएफ के कार्यों में उपयोग में ली जा चुकी है। इसका सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
- ग्राम सचिव श्री देवी लाल पारगी के पास ग्राम पंचायत उदयपुरा बडा के अतिरिक्त दो अन्य ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिव का कार्यभार भी था। अतः इन दोनों ग्राम पंचायतों की रोकड बही का निरीक्षण तथा बैंक खाते के साथ इसका अंक मिलान किया जाना भी प्रस्तावित है।
- 8 नवीन कूप के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 2.01.08 को एवं 27 नवीन कूप निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 2.03.09 को जारी की गई है। 2.01.08 को स्वीकृत किये गये कूप निर्माण में सभी कुओं पर दिनांक 25.11.08 को 800 ब्लास्टिंग होल के बिल रू0 60000/- के लगाये गये है। इसी प्रकार दिनांक 2.03.09 को स्वीकृत कूप निर्माण पर रोकड बही के बाउचर संख्या 105 से 130 तक लगातार ब्लास्टिंग होल के बिल लगाये गये है। जबकि कुछ कुओं का कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। इसी प्रकार इन सभी कुओं पर पत्थर एवं रेती की आपूर्ति के बिल बाउचर भी लगाये गये है। जबकि अधिकतर कार्यों पर पत्थर एवं रेती की आपूर्ति नहीं की गई है। अतः समस्त कूप निर्माण के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना भी प्रस्तावित है।

7. अन्य सुझाव :-

- राशि का आवंटन कैश बुक के सत्यापन के उपरान्त ही किया जावे।
- यदि तीन माह तक ग्राम पंचायत को राशि आवंटित नहीं की जाती है तो ग्राम पंचायत की रोकड बही का सत्यापन पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी/लेखा कार्मिक के द्वारा आवश्यक रूप से की जावे।
- ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति की कैशबुक तथा बैंक स्टेटमेन्ट का कम से कम चार माह में एक बार आवश्यक रूप से अंक मिलान किया जाना प्रस्तावित है।
- कार्य स्थल पर आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का इंड्राज माप पुस्तिका में भी किया जावे।



- कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र केवल मात्र एक ही जारी नहीं किया जाकर प्रतिमाह किया जावे। अन्यथा प्रत्येक तिमाही में तो आवश्यक रूप से किया जावे।
- कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य पूर्ण होने के एक माह के अंदर आवश्यक रूप से जारी किया जावे। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की एक प्रति जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी प्रेषित की जावे।
- कम से कम 20 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले से उच्चतर अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना उचित होगा।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत से कार्य पर होने वाले व्यय की सूचना संलग्न प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
- हस्ताक्षर करने वाले कार्मिक का नाम स्पष्ट शब्दों में अंकित किया जावे एवं हस्ताक्षर के साथ तारीख भी आवश्यक रूप से अंकित की जावे।
- सामग्री की आपूर्ति निविदादाता से ही प्राप्त की जावे ना कि अनुमोदित दरों के आधार पर किसी भी आपूर्ति कर्ता से।
- ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित की जाने वाली कैंश बुक की प्रविष्टि के लिए टास्क बेसिस पर किसी लेखाकर्मी की सेवाएं लिया जाना भी उचित होगा।
- सरपंच को नरेगा कार्यों के निरीक्षण हेतु आवश्यक यात्रा भत्ता/मानदेय अलग से दिया जाना भी उचित होगा।
- नरेगा कार्मिकों का समय समय पर प्रशिक्षण अतिआवश्यक है। इसके लिए जिला स्तर पर पूरे वर्ष का प्रशिक्षण कलेण्डर बनाया जाना भी प्रस्तावित है।
- आईईसी के तहत सर्वाधिक नारा लेखन का कार्य जितना काम उतना दाम का कराया जाना भी प्रस्तावित है।
- कार्यों के निरीक्षण का प्रतिमाह एक चार्ट जिला स्तर पर बनाया जाना चाहिए ताकि अधिकतम ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण किया जा सके।
- सामग्री के बिलों का भुगतान सामग्री बिल का एमआईएस पर इंद्राज होने के पश्चात ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक सामग्री बिल पर इस बात का प्रमाण पत्र बिल के इंद्राज करने वाले कार्मिक से प्राप्त किया जाना आवश्यक होना चाहिए।

